

12.5.24

पत्रावली पेश हुई। -युंकि इस प्रकरण की मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 18/12/2024 के द्वारा वलब की गई है। अतः माननीय न्यायालय से मूल पत्रावली का अंतिम निर्णय होकर वापस प्राप्त होने तक इस प्रकरण को नंबर से कम किया जात है।


जिला कलेक्टर
बालोतरा